कृषि उद्यमिता से देश होगा आत्मनिर्भर

–डा इशिता जी त्रिपाठी और पवन कुमार सिंह

कृषि उद्यमिता की पूरी क्षमता का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब मिट्टी, बीज और पानी जैसे तत्वों का प्रभावी प्रबंधन हो। साथ ही, विकास की किसी भी रणनीति की सफलता के लिए सभी हितधारकों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए केंद्र और राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की पहलकदमियों के बीच तालमेल की ज़रूरत है। इस तरह का दृष्टिकोण कृषि उद्यमियों को स्वावलम्बी और उनके ज़रिए देश को 'आत्मनिर्भर' बनाने में सहायक होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 जून, 2022 को 'उद्यमी भारत' का शंखनाद किया जो उद्यमिता के महत्व और इसकी क्षमता को रेखांकित करता है। अर्थशास्त्र में 'उद्यमिता' को उत्पादन के चार कारकों में से एक माना गया है। उद्यमिता का प्रतिफल मुनाफा होता है। उद्यमी का लक्ष्य बिक्री, राजस्व और लाभ आदि को अधिकतम सीमा तक बढ़ाना होता है। वह इस उद्देश्य से उत्पादन के अन्य तत्वों– भूमि, श्रम और पूंजी को समुचित ढंग से व्यवस्थित करने का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है।

कृषि अब भी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका हिस्सा 18 से 20 प्रतिशत है। ग्रामीण आबादी का तकरीबन 70 प्रतिशत हिस्सा अपनी आजीविका के लिए कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। गाँवों में अपेक्षाकृत खराब अवसंरचनात्मक सुविधाएं ग्रामीणों को शहरों की ओर पलायन के लिए मजबूर करती हैं। दूसरी ओर, शहरों में रोज़गार के बेहतर अवसर भी ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों की ओर खींचते हैं। देश की कुल जनसंख्या में शहरी आबादी का हिस्सा 2.76 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। परिणामस्वरूप कुल जनसंख्या में शहरी आबादी 2001 में 27.81 प्रतिशत से बढ़ कर 2011 में 31.16 प्रतिशत हो गई। इस तरह 2001 और 2011 के बीच शहरी आबादी में 9.11 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जो किसी भी दशक में सबसे ज़्यादा वृद्धि है। शहरी जनसंख्या में 2001 से 2011 तक के दशक में वृद्धि के लगभग 56 प्रतिशत हिस्से का कारण गाँवों से शहरों की ओर पलायन, ग्रामीण बसावटों का शहरी क्षेत्र में परिवर्तन और सीमा में बदलाव है।[1]

इस पृष्ठभूमि में कृषि उद्यमिता खेती पर बोझ घटाने और गाँवों से शहरों की ओर पलायन रोकने के उपायों में से एक साबित हो सकती है। कृषि उद्यमिता का मतलब खेती और इससे संबंधित क्षेत्रों में उद्यमिता है। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में नए और

नवोन्मेषी तरीकों, प्रक्रियाओं और तकनीकों को अपना कर बेहतर उत्पादन और लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रगतिशील बदलावों की शुरुआत हो सकती है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला के तेजी से एकीकरण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी अनुपालनों की वजह से कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में उद्यमियों की मांग में हाल के वर्षों में इज़ाफा हुआ है। कृषि उद्यमी प्रकृति, बाज़ार और उपभोक्ता प्राथमिकताओं में अनिश्चितता का जोखिम उठाते हैं। उनकी क्षमता, सही समय पर सूचना, घटनाओं की जानकारी के उपयोग तथा नवोन्मेषी समाधानों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से साबित होती है। कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जल्दी खराब होने वाली सामग्री का नुकसान न्यूनतम हो, उपभोक्ता लाभ बढ़े और मूल्य का प्रभावी ढंग से पता लगाया जा सके।

कृषि उद्यमिता में खाद्य और बीज प्रसंस्करण, मछली और मधुमक्खी पालन, उत्तक संवर्धन, स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, मिट्टी की जाँच और कृमि खाद जैसे विभिन्न उपक्षेत्र शामिल हैं। कृषि उद्यमियों को सब्जियों और फलों की विभिन्न नस्लों के उत्पादन तथा प्रसंस्करण और विपणन जैसी गतिविधियों में लगाया जा सकता है। कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और वितरण में विशेषज्ञता और अधिक निवेश की ज़रूरत होती है। लिहाजा, इस क्षेत्र में सहकारी समितियां सफल उद्यम साबित हो सकती हैं। डेयरी सहकारी समितियां इसकी मिसाले हैं। कृषि उद्यमिता में चावल और दाल मिलों, चीनी फैक्टरियों, बेकरी, उर्वरक उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, कृषि उपकरणों तथा खेती सेवा केंद्रों को भी शामिल किया जा सकता है। कृषि उद्यमिता इसके अलावा महिला सशक्तीकरण का ज़रिया भी बन सकती है।

मौजूदा समय में प्राथमिक क्षेत्र पर रोज़गार का भारी बोझ है। मशीनीकरण, जागरूकता प्रसार और सोच में सकारात्मक बदलावों के ज़रिए ग्रामीणों में कृषि उद्यमिता के गुणों को विकसित किया जा सकता है। इससे बेरोज़गार कार्यबल को कृषि से अलग लाभकारी विकल्प मिलेगा और आपूर्ति शृंखला मज़बूत होगी। कृषि उद्यमिता में स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इससे फसल कटने के बाद नुकसान की आशंका घटने के साथ ही गाँवों से शहरों की ओर पलायन में भी कमी आती है। इस संदर्भ में लेख में कृषि उद्यमियों के सामने वर्तमान चुनौतियों के बीच कृषि उद्यमिता के ज़रिए किस तरह आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, की समीक्षा की गई है।

नीतियां और कार्यक्रम

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के ज़रिए कृषि उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं। इन नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का मकसद खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन और स्वरोज़गार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

तालिका–1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना के अंतर्गत 20.07.2022 तक राज्यों और संघशासित प्रदेशों में पंजीकृत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का ब्यौरा

राज्य/संघशासित क्षेत्र	पंजीकरणों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	29
आंध्र प्रदेश	5,113
अरुणाचल प्रदेश	116
असम	5,831
बिहार	1,914
चंडीगढ़	24
छत्तीसगढ़	419
दादरा नगर हवेली तथा दमन–दीव	16
दिल्ली	336
गोवा	45
गुजरात	307
हरियाणा	907
हिमाचल प्रदेश	879
जम्मू कश्मीर	706
झारखंड	118
कर्नाटक	2,602
केरल	515
लद्दाख	72
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	3,149
महाराष्ट्र	10,781
मणिपुर	2,111
मेघालय	149
मिज़ोरम	35
नगालैंड	363
ओडिशा	1,719
पुडुचेरी	104
पंजाब	1,314
राजस्थान	1,400
सिक्किम	73
तमिलनाडु	2,949
तेलंगाना	1,724
त्रिपुरा	184
उत्तराखंड	241
उत्तर प्रदेश	5,536
कुल	51,792

स्रोतः लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2754 का 02.08.2022 को दिया गया उत्तर

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की 2017 में समीक्षा की। अब इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के पुनरुत्थान के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई–रफ्तार)* के नाम से जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य कृषि को लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना है। यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ ही उद्भवन के अनुकूल वातावरण तैयार करती है। इसके अंतर्गत आने वाली गतिविधियों में किसानों के प्रयासों को मज़बूती प्रदान करना, जोखिम घटाना, फसल–पूर्व और पश्चात् अवसंरचना का निर्माण तथा कृषि उद्यमिता और नवोन्मेषों को बढ़ावा देना शामिल है। इस योजना के तहत 5000 से ज़्यादा परियोजनाओं को मंज़ूरी दिए जाने के साथ ही पांच ज्ञान भागीदारों और 24 कृषि व्यवसाय उद्भावकों को नियुक्त किया गया है।[2]

आरकेवीवाई–रफ्तार में कृषि उद्यमिता दिशा–निर्देश शामिल है। इसमें उद्यमी के लिए वेतन तथा शुरुआती चरण में और उद्भावकों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।[3] योजना के वार्षिक परिव्यय का आठ प्रतिशत हिस्सा उद्भवन (इंक्यूबेशन) के लिए रखा गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट में आरकेवीआई के अंतर्गत कुछ सफल उदाहरणों का ज़िक्र किया गया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश में सड़क के किनारे के बाज़ार स्टॉल और किसानों के लिए सौर समाधान शामिल हैं। देश में कृषि उद्यमियों की संख्या में तेज़ी से इज़ाफा हो रहा है। साथ ही, कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में सफल उद्यमियों के आंकड़े भी रखे जाने लगे हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान ने *ग्रामीण भारत में 200 परिश्रमी उद्यमी* का प्रकाशन किया है।[4] इसमें कृषि उद्यमियों की सफलता की कहानियां हैं जो आकांक्षी उद्यमियों को प्रेरित करेंगी। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 10,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना शुरू की है। इसके तहत मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता मुहैया करायी जाती है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित हिस्से में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धिता और इस क्षेत्र के औपचारीकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के पोर्टल पर 20 जुलाई, 2022 तक कुल 51,792 पंजीकरण किए गए। विभिन्न राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में पंजीकरण का विस्तृत विवरण तालिका–1 में दिया गया है।

> एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन को 26 जून, 2020 को स्वीकार किया गया और उद्यम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ 1 जुलाई, 2020 को हुआ। ये दोनों कदम आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत उठाए गए जिसका उद्देश्य एमएसएमई को कोविड 19 की वैश्विक महामारी के सदमे से उबारना था। सिर्फ लगभग 26 महीनों में 1.06 करोड़ एमएसएमई स्वेच्छा से उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। इनमें से लगभग 10 प्रतिशत ने किसी–न–किसी तरह कृषि उद्यमिता से जुड़े होने की घोषणा की है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 2020 में केंद्र सरकार की योजना के तौर पर कृषि अवसंरचना कोष का शुभारंभ किया गया। इस कोष का उद्देश्य फसल पश्चात प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि सम्पदा के निर्माण में निवेश के लिए मध्यकालिक और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना है। इसके तहत सरकार ऋण पर ब्याज में तीन प्रतिशत की सहायता देती है। इसके अलावा, सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कोष न्यास दो करोड़ रुपये तक ऋण गारंटी शुल्क मुहैया कराता है। कृषि अवसंरचना कोष के एकीकृत पोर्टल www.agriinfra.dac.gov.in पर अब तक 23 हज़ार से ज़्यादा अर्जियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से 13,700 आवेदकों के 10131 करोड़ रुपये के ऋण प्रस्ताव मंज़ूर किए गए हैं।[5] मंज़ूर अवसंरचना परियोजनाओं में भंडारगृहों, निरीक्षण केंद्रों, प्राथमिक और बीज प्रसंस्करण तथा छंटाई और वर्गीकरण इकाइयों, कस्टम भर्ती केंद्रों, शीतगृहों और शीत शृंखला एवं जैव उत्प्रेरक निर्माण से संबधित परियोजनाएं शामिल हैं।

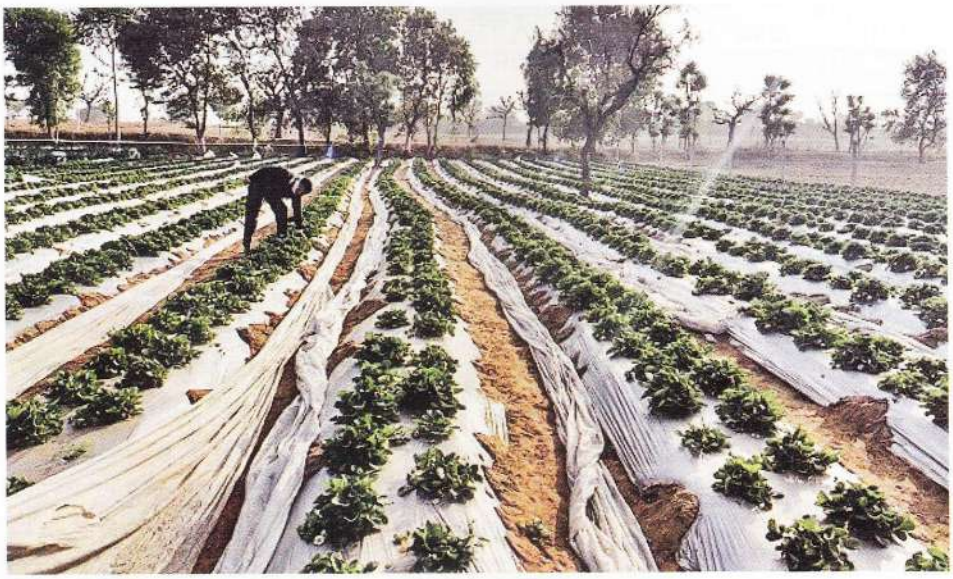

*RAFTAAR - Remunerative Approaches for Agriculture & Allied Sector Rejuvenation

तालिका–2: उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत कृषि उद्यमी

मौजूदा कृषि उद्यमिता का प्रकार	उपक्रमों की संख्या	प्रतिशत
कृषि सिंचाई उपकरण का संचालन	31,594	3.2
पशु उत्पादन के लिए सहायक गतिविधियां	29,233	3.0
कृषि के लिए बीज प्रसंस्करण	16,137	1.6
मछली और अन्य जलीय आहारों का प्रसंस्करण, संरक्षण और उत्पादन	24,222	2.5
फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण और संरक्षण	83,455	8.5
वनस्पति और पशु तेलों और वसा का निर्माण	43,696	4.5
डेयरी उत्पादों का निर्माण	1,37,224	14.0
अनाज मिल उत्पादों का निर्माण	1,63,063	16.6
स्टार्च और स्टार्च उत्पादों का निर्माण	7,702	0.8
बेकरी उत्पादों का निर्माण	86,104	8.8
चीनी निर्माण	13,191	1.3
कोकोआ, चॉकलेट और चीनी कंफेक्शनरी का निर्माण	29,649	3.0
मैकरोनी, नूडल, पास्ता और इस तरह के अन्य खाद्यों का निर्माण	10,061	1.0
तैयार आहारों और व्यंजनों का निर्माण	20,677	2.1
अन्य खाद्य उत्पादों का निर्माण	2,54,510	26.00
तैयार पशु आहार का निर्माण	30,793	3.1
कुल	**9,81,311**	**100**

स्रोतः उद्यम पंजीकरण पोर्टल

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के *उद्यम पंजीकरण पोर्टल* पर ऐसे उद्यमों को पंजीकृत कराया जा सकता है जिनका संयंत्र और मशीनरी पर निवेश 50 करोड़ रुपये तक और कुल कारोबार 250 करोड़ रुपये तक का हो। ये पंजीकृत उद्यम बैंकों के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण और एमएसएमई के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन को 26 जून, 2020 को स्वीकार किया गया और उद्यम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ 1 जुलाई, 2020 को हुआ। ये दोनों कदम आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत उठाए गए जिसका उद्देश्य एमएसएमई को कोविड 19 की वैश्विक महामारी के सदमे से उबारना था। सिर्फ लगभग 26 महीनों में 1.06 करोड़ एमएसएमई स्वेच्छा से उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं।[6] इनमें से लगभग 10 प्रतिशत ने किसी–न–किसी तरह कृषि उद्यमिता से जुड़े होने की घोषणा की है (तालिका–2)। तालिका में मौजूदा समय में चालू उद्यमों को रखा गया है। इसमें शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के इस पंजीकरण पोर्टल पर खाद्य उत्पाद क्षेत्र की विशिष्ट मौजूदगी देखी जा सकती है।

गाँवों में कृषि गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम तथा नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता योजना जैसी पहल की हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाएं भी इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हैं। एमएसएमई मंत्रालय की ग्रामोद्योग विकास योजना शिल्पकारों पर केंद्रित है। इसका मकसद ग्रामीण उद्योगों में शिल्पकारों के पारम्परिक और अंतर्निहित कौशलों को पुनर्जीवित करना है। इसमें तेल, सुगंधी, शहद और मधुमक्खी पालन, गुड़ और अन्य ताड़ उत्पाद, फल और सब्जी प्रसंस्करण, दाल और अनाज प्रसंस्करण, मसाला प्रसंस्करण, गुड़ और खांडसारी, लघु वन उत्पाद संग्रह, बांस, बेंत और सरकंडा, आर्गेनिक रंगाई तथा औषधीय वनस्पति संग्रह और प्रसंस्करण जैसे कृषि आधारित उद्योगों पर खास ध्यान दिया गया है। ग्रामीणों में उद्यमिता की आदतों को विकसित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने उद्यम और कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाया है।

उद्यमियों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनमें किफायती वित्त और प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रमुख हैं। इसे ध्यान में रखते हुए एमएसएमई मंत्रालय ने ज़मानत गारंटी योजना शुरू की है। इसके तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को ज़मानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। एमएसएमई को वित्त प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत *आत्मनिर्भर भारत कोष* की घोषणा की गई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने *ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी योजना* (एससीएलसीएसएस)* शुरू की है। यह योजना आकांक्षी

उद्यमियों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनमें किफायती वित्त और प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रमुख हैं। इसे ध्यान में रखते हुए एमएसएमई मंत्रालय ने ज़मानत गारंटी योजना शुरू की है। इसके तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को ज़मानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। एमएसएमई को वित्त प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत कोष की घोषणा की गई है।

*SCLCSS - Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme

उद्यमियों के नए उपक्रमों के गठन को प्रोत्साहन देने के अलावा मौजूदा उद्यमों का क्षमता निर्माण भी करती है। एससीएलसीएसएस के तहत निर्माण और सेवा क्षेत्रों के सभी एससी/एसटी सूक्ष्म और छोटे उद्यमी 25 प्रतिशत सब्सिडी पाने के हकदार हैं। इस योजना के अंतर्गत संस्थागत ऋण के ज़रिए संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर अधिकतम 25 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है। उद्यमिता के लिए नवोन्मेष एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारत सरकार युवाओं और नए उपक्रमों में नवोन्मेष को बढ़ावा दे रही है। एमएसएमई मंत्रालय ने मार्च 2022 में हैकाथॉन अवधारणा को शुरू किया। इसका मकसद अप्रयुक्त रचनात्मकता को समर्थन देना और नवोन्मेष को किफायती बनाना है।

आगे की राह

पिछले दो वित्त वर्ष कोविड 19 के प्रतिकूल प्रभाव से ग्रस्त रहे। इस वैश्विक महामारी की वजह से अन्य क्षेत्रों की तरह ही स्वरोज़गार करने वालों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार ने इस स्थिति से उबरने के लिए एक समग्र नज़रिया अपनाया जिसके सकारात्मक संकेत दिखायी देने लगे हैं।

अनेक शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रमों में 'उद्यमिता' को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। इससे कॅरियर के एक विकल्प के तौर पर 'उद्यमिता' के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और नौजवान उद्यमियों के कौशल का विकास होगा। कृषि और इससे संबंधित उपक्षेत्रों की स्नातक स्तर की शिक्षा में ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना (रेडी)* को शामिल किया गया है। यह योजना युवाओं में उद्यमिता के बारे में जागरूकता और दिलचस्पी पैदा करने में सफल हो सकती है।

हमारे देश की विविधता को इसके भूगोल, भूमि की प्रकृतियों और कृषि उत्पादों में देखा जा सकता है। इस विविधता को ध्यान में रखते हुए कृषि उद्यमिता नीतियों को क्षेत्र विशेष की क्षमता और मांगों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। 'आत्मनिर्भर भारत' स्वदेशी क्षमता के अधिकतम इस्तेमाल के सिद्धांत पर आधारित है। कृषि उद्यमिता को आत्मनिर्भरता की बुनियाद मानना अतिश्योक्ति नहीं होगा।

ग्रामीणों में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना वक्त की ज़रूरत है। क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संभावित उद्यमियों की तकनीकी दक्षता को विकसित करने में मदद मिल सकती है। इस तरह की पहलकदमियों के साथ ही पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं की भी दरकार होगी। कृषि उद्यमिता की पूरी क्षमता का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब मिट्टी, बीज और पानी जैसे तत्वों का प्रभावी प्रबंधन हो।

विकास की किसी भी रणनीति की सफलता के लिए सभी हितधारकों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए केंद्र और राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की पहलकदमियों के बीच तालमेल की ज़रूरत है। इस तरह का दृष्टिकोण कृषि उद्यमियों को स्वावलम्बी और उनके ज़रिए देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा।

संदर्भ

1 https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/CensusResult_2011%5B1%5D.pdf

2 लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1356 का 09.02.2021 को दिया गया उत्तर

3 लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2184 का 15.03.2022 को दिया गया उत्तर

4 https://www.manage.gov.in/publications/200%20Stories-MANAGE2019.pdf

5 कृषि मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति, 29.07.2022 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1846318#:~:text=Agriculture%20Infrastructure%20Fund%20(AIF)%20was,infrastructure%20and%20community%20farming%20assets

6 https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm (04-09-2022 को देखा गया)

(डॉ इशिता जी त्रिपाठी एमएसएमई मंत्रालय में अपर विकास आयुक्त हैं और श्री पवन कुमार सिंह सहायक निदेशक हैं। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों की निजी राय है।)

ई–मेलः igtripathy@gmail.com

*READY - Rural Entrepreneurship Awareness Development Yojana